

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/2389

दिनांक: 18/2/19

—आदेश:—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री बाबूलाल धोबी	कनिष्ठ लिपिक	एपीओ निदेशाल	भिवाडी
2	श्री उदयसिंह चौधरी	कनिष्ठ लिपिक	अलवर	भिवाडी
3	श्री राजेश/श्री गणेशाराम	सफाई कर्मचारी	राजलदेसर	बीकानेर
4	श्री मुकेश/श्री रामरखा	सफाई कर्मचारी	खण्डेला	जयपुर
5	धर्मेन्द्र कुमार/श्री घीसाराम	सफाई कर्मचारी	नोहर	सूरतगढ
6	श्री रामस्वरूप/श्री मोहनलाल	सफाई कर्मचारी	भादरा	रावतसर

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।
नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक : 18/2/19

क्रमांक : प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/2390-2419
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)